तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/1875/2006/सवाईमाधोपुर** **शब्बीरखान बनाम हरिराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-9-2025	**एकल–पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक प्रार्थी **निर्णय** **1–** हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–12–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। **2–** निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) व 20 के तहत दिनांक 01–12–1995 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 986 में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का नियमन प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05–11–1977 को सलाहकार समिति की सलाह पर उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर ने गलत किया है क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पिता बंशी के नाम आवंटित हो चुकी है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13–8–1996 के द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थी के पक्ष में किया गया नियमन बहाल रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–12–1997 को अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 13–8–1996 एवं नियमन सलाहकार समिति का आदेश दिनांक 05–11–1977 निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। **3–** अप्रार्थीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजे गये लेकिन वे निगरानी की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। **4–** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया कि खसरा नम्बर 986 का कुल रकबा 2	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/1875/2006/सवाईमाधोपुर</u>** **शब्बीरखान बनाम हरिराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा 9 बिस्वा भमि उनके पिता बंशी के नाम दिनांक 01–8–1970 को आवंटित हुई है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि भू–राजस्व रिकार्ड में बंशी के नाम खसरा नम्बर 986 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा में से मात्र 16 बिस्वा भूमि आवंटित किया जाना दर्ज है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उनके पिता बंशी के नाम खसरा नम्बर 986 का पूरा रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा आवंटित किया गया हो तथा रिर्पोट पटवारी भी अस्पष्ट है। अप्रार्थीगण के पक्ष में केवल 16 बिस्वा पर ही खातेदारी है शेष रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस आराजी पर प्रार्थी ने ट्यूबवेल बना रखा है। आदेश संख्या 948 दिनांक 30–6–1981 अनुसार भूमि को बंटवारा स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 986 का जो रकबा प्रार्थी के नाम नियमित किया गया है, वह प्रार्थी के भाई रफीक के खाते में दर्ज हो गई है। विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित पक्षकार को सुने बिना धारा 14 (4) व नियम 20 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गतप्रभावित पक्षकार को पार्टी बनाये बिना नियमन आदेश के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर का निर्णय विधिसम्मत तथा तथ्यपरक है, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज कर निगराधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपने कब्जे के सबूत बाबत सम्वत 2015 से 2027 तक का खसरा गिरदावरी पेश की है जिसमें प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। मातहत अपीलीय न्यायालय को प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं था। न्यायालय का अप्रार्थीगण को 2 बीघा 9 बिस्वा आवंटन होने का विनिश्चय सही नहीं है क्योंकि न तो इसका साक्ष्य है और न ही उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में इतनी भूमि दर्ज हुई। न्यायालय ने मियाद के बिंदु पर विचारण किये बिना निर्णय दिया है। पूरी भूमि पर पूर्व से प्रार्थी का ही कब्जा होने से अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में 16 बिस्वा का आवंटन भी विधिविरूद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 12–12–1997 को निरस्त किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 13–8–1996 तथा सलाहाकार समिति का प्रार्थी के पक्ष में पारित नियमन आदेश दिनांक 05–11–1977 बहाल रखा जावे। **5–** प्रार्थी के अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। **6–** मातहत अपीलीय न्यायालय की पत्रावली अवलोकन अनुसार प्रोसिडिंग रजिस्टर ग्राम पंचायत बहतेड़ तहसील बौली मुताबिक दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/1875/2006/सवाईमाधोपुर</u>** **शब्बीरखान बनाम हरिराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01–8–1970 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 986 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थीगण के पिता बंशी पुत्र गंगल्या के पक्ष में आवंटन किया गया है। पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार को प्रार्थी की नियमन बाबत पत्रावली में उक्त आवंटन का उल्लेख भी किया गया था लेकिन नायब तहसीलदार ने बिना इसका अवलोकन व रिकार्ड की जांच किये पत्रावली नियमन की सिफारिश के साथ उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रेषित की गई, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति की सलाह पर खसरा नम्बर 986 में से 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का नियमन प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05–11–1977 किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) व नियम 20 के तहत दिनांक 01–12–1995 को प्रस्तुत किया, जिस पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13–8–1996 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थी के पक्ष में किया गया नियमन बहाल रखा गया। इस निर्णय में अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन बाबत कोई दस्तावेज पेश न करना एक महत्वपूर्ण बिंदु माना है, जिसका साक्ष्य अभिलेख अपीलीय न्यायालय में पेश हो चुका है तथा इसके अनुसार बंशी को पूर्ण भूमि 2 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन साबित है। प्रार्थी ने इस आवंटन का निरस्त कर दिया जाने का कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया है, बल्कि उसके द्वारा पूर्व में इस आवंटन के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर न्यायालय में प्रस्तुत अपील न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28–12–1976 को खारिज की जाकर बंशी का आवंटन बहाल रखा गया था। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं की गई। उक्तानुसार वस्तुस्थिति विश्लेषण अनुसार हमारा सुविचारित मत है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 986 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का विधिवत आवंटन बंशी को कर दिया जाने तथा इस आवंटन के यथावत रहने की स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में इसी भूमि में से 1 बीघा 13 बिस्वा का दिनांक 05–11–1977 को किया गया नियमन उचित तथा विधिसम्मत नहीं था, इसलिए प्रार्थी का पक्ष स्वीकारयोग्य होना साबित नहीं है। अगर प्रार्थी वक्त आवंटन भूमि पर उसका कब्जा होना बताता है तो उसका कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से होकर इसका उसे कोई विधिसम्मत लाभ देय नहीं है। प्रार्थी ने निगरानी में मातहत अपीलीय न्यायालय को अपील सुनवाई का अधिकार न होने का न तो कोई विधिक आधार बताया है और न ही उक्त अपील में उसने सुनवाई क्षैत्राधिकार बाबत आपत्ति प्रस्तुत की गई, इसलिए प्रार्थी की आपत्ति चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का विस्तृत तथ्यपरक तथा विधिसम्मत विवेचन करते हुये निर्णय दिनांक 12–12–1997 द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/1875/2006/सवाईमाधोपुर</u>** **शब्बीरखान बनाम हरिराम वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार करने का प्रदत्त निर्णय उचित होकर इसमें हस्तक्षेप का कोई पुष्ट आधार होना परिलक्षित नहीं होता है। **7—** अतः निर्णय स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी खारिज की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 12—12—1997 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	